न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 22 / 2019

श्रीमति मुजीबा ख़ॅान पत्नि मोहम्मद तोफीक ख़ॅान निवासी मोती बाग़ तलाब की पाल टोंक जिला– टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22–7–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को दिनांक 29–5–2019. को आवेदन पत्र प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1– क्या आपके विभाग को टोंक शहर में रहने वाले लोगों को वृद्वावस्था, विधवा, पी0पी0एल0, विकलॉग, निराश्रित लोगों की पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं या नहीं।

2– आपके विभाग के द्वारा टोंक शहर में रहने वाली पेंशन भोगी शाहेना पत्नि स्व0 जावेद खॅान निवासी शहर टोंक तह0 टोंक व जिला–टोंक की विधवा पेंशन योजना (सी.एम.डबलू. पी.एस.) स्वीकृति सं0 आर.जे.एस. 01538072 स्वीकृति दिनांक 2–3–2010 की विधवा पेंशन आपके विभाग़ के द्वारा किन–किन दस्तोवेजों के आधार पर स्वीकृत कर जारी की गई है। समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतितिपि उपलब्ध करावें।

3– टोंक शहरी क्षेत्र के लोगों की विधवा, पी0पी0एल0, विकलॉग, लोगों आदि की पेंशन स्वीकृति के आदेश किस कार्यालय के किस अधिकारी के द्वारा पेंशन राशि दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं सम्बन्धित विभाग का नाम मय पूर्ण पता

4–प्रारूप एस.एस.पी–1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 150 दिनांक 16–7–2019 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक 6095 दिनांक 27–6–2019 से सूचना के सम्बन्ध में जवाब डाक द्वारा भिजवा दिया गया है तथा अपीलार्थी ने कार्यालय में उपस्थित होकर भी जवाब की प्रति प्राप्त कर ली है। चूँकि आवेदक को सूचना दी जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner